न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसिया ।
पीठासीन अधिकारी – श्री प्रकाश रेगर,आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या – 266 / 2016
प्रार्थीगण :–

1 भाकरराम पुत्र श्री कानाराम
2 हीराराम पुत्र श्री कानाराम
3 खींयाराम पुत्र श्री कानाराम
4 तेजाराम पुत्र श्री कोजाराम फौत जिनके कायम मुकाम
4–(1) सुरताराम पुत्र श्री तेजाराम
4–(2) बीरमाराम पुत्र श्री तेजाराम
4–(3) हुकमारमा पुत्र श्री तेजाराम
4–(4) बाबुराम पुत्र श्री तेजाराम
4–(5) मोहनराम पुत्र श्री तेजाराम
4–(6) सोनाराम पुत्र श्री तेजाराम
4–(7) बगतु बेवा श्री तेजाराम
5 आदुराम पुत्र श्री कोजाराम
6 जोराराम पुत्र श्री कोजाराम
जाति विश्नोई निवासी चैराई

तहसील औसिया जिला जोधपुर ।

–: ब ना म :–

अप्रार्थीगण :–

1 नखतसिंह पुत्र श्री इन्द्रसिंह
2 महेन्द्रसिंह पुत्र श्री इन्द्रसिंह
जाति राजपूत निवासी शेरगढ

तहसील शेरगढ जिला जोधपुर ।

3 श्री तहसीलदार साहब, औसिया ।
4 श्री सब रजिस्ट्रार, औसिया।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:33:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, ओसि०

Scanned by CamScanner

उपस्थित

1 श्री चन्दनसिंह भाटी, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।

2 अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नही होने से एक पक्षीय कार्यवाही।

– निर्णय – दिंनाक –24/7/19

इस प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि तहसील औसिया के ग्राम चैराई की सरहद मे खसरा नम्बर 1858 रकबा 2 बीस्वा, गै.मु.बाडा, खसरा नम्बर 1859 रकबा 5 बीस्वा, गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 1860 रकबा 102 बीघा 11 बीस्वा भूमि प्रार्थीगण की कब्जा काश्त सुदा आई हुई है । उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थीगण के नाम शिकमी काश्तकार के रूप मे दर्ज है । उपरोक्त वर्णित भूमि पर वक्त सेटलमेन्ट से पूर्व से प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वज काश्त करते आ रहे है । उक्त भूमि मे प्रार्थीगण व उनके पुत्रो की दस, बारह रिहायसी ढाणीये, बाडा, टांके आदि बने हुए है । उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड मे हल्का पटवारी ने भूल व लापरवाही से इन्द्रसिंह पुत्र श्री पदमसिंह साकिन चांदसमा के नाम से खातेदारी दर्ज कर दी तथा उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थीगण का बतौर शिकमी काश्तकार के नाम दर्ज कर दिया गया । जिसकी जानकारी वक्त सेटलमेन्ट प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वजो को नही थी । वादग्रस्त भूमि का लगान प्रार्थीगण वक्त सेटलमेन्ट से लेकर तावसूली लगान अदा करते आ रहे थे । लगान की रसीदे वाद के साथ मे पेश है । अप्रार्थीगण के पिता इन्द्रसिंह ग्राम चैराई के जुने जागिरदार थे, वे कभी काश्तकार नही थे , न ही उन्होने वादग्रस्त भूमि मे कभी निवास व काश्त किया । वक्त सेटलमेन्ट अप्रार्थीगण के पिता ग्राम चांदसमा मे ही रहते थे एवं अप्रार्थीगण भी आज दिन ग्राम चांदसमा मे ही निवास करते है । वादग्रस्त भूमि मे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की अप्रार्थीगण के पिता इन्द्रसिंह ने कभी किसी प्रकार की दखलन्दाजी व हस्तक्षैप नही किया और न ही किसी अन्य ने किया और न ही उन्होने अपने जीवनकाल मे किसी प्रकार के खातेदारी हक जताये और न ही कभी वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध मे अपना स्वामित्व व मालिकाना हक जताया । इन्द्रसिंह ने अपने जीवनकाल मे हमेशा यही कहा कि उनका नाम राजस्व रेकर्ड मे गलती से दर्ज हो गया है। जिसे वे कभी भी अपना नाम निकलवा देगे । इसलिए मृतक इन्द्रसिंह के नाम को राजस्व रेकर्ड मे से हटाने का कोई बिनाय दावा पैदा नही हुआ। अप्रार्थीगण के पिता इन्द्रसिंह का देहान्त हो चुका है तथा वादग्रस्त जमीन के राजस्व रेकर्ड मे अप्रार्थीगण के पिता इन्द्रसिंह का नाम आज भी दर्ज होने के कारण अप्रार्थीगण की नीयत खराब हो गई जिन्होने हाल ही मे दिंनाक 20.1.2013 को वादग्रस्त भूमि पर आकर प्रार्थीगण को बेदखल करने की धमकी दी तथा उक्त भूमि को बेचान फरोक्त करने की भी धमकी दी इसलिए प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि की खातेदारी की घोषणा व अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा हेतू यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहे है। वादग्रस्त भूमि

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:33:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

मे पिछले 60 वर्षो से अधिक समय से प्रार्थीगण का कब्जा काश्त होने एवं वर्तमान मे शिकमी काश्तकार की कोई श्रेणी नही होने के कारण प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि मे से अप्रार्थीगण के पिता मृतक इन्द्रसिंह का नाम हटवा कर एवं प्रार्थीगण का शिकमी काश्तकार का इन्द्राज हटाया जाकर प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार की घोषणा करवाने के अधिकारी है । वादग्रस्त भूमि मे पिछले 60 वर्षो से अधिक समय से आज दिन तक प्रार्थीगण का शांन्ति पूर्वक कब्जा काश्त होने से पजेशन के अनुसार भी खातेदार होने एवं उक्त भूमि मे प्रार्थीगण की कदीमी रिहासीये ढाणीये, बाडे टांके आदि बने होने एवं वादग्रस्त भूमि का तावसूली लगान प्रार्थीगण एंव प्रार्थीगण के पूर्वजो द्वारा अदा किया हुआ होने तथा अप्रार्थीगण का कभी भी कब्जा काश्त नही होने से प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे बनता है। वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थीगण शिकमी काश्तकार दर्ज होने तथा अप्रार्थीगण के पिता का नाम खातेदारी मे दर्ज होने से अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल कर कब्जा करने एवं बेचान फरोक्त करने की धमकी दी । यदि अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर जबरन कब्जा कर लिया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति रूपयो पैसो मे नही की जा सकेगी । सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे बनता है ।

अन्त में प्रार्थीगण ने यह अनुतोष चाहा है कि अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण बर खिलाफ अप्रार्थीगण ताफैसला दावा इस आशय की जारी की जावे कि ग्राम चैराई की सरहद मे खसरा नम्बर 1858 रकबा 2 बीस्वा, गै.मु.बाडा, खसरा नम्बर 1859 रकबा 5 बीस्वा, गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 1860 रकबा 102 बीघा 11 बीस्वा भूमि का अप्रार्थीगण बेचान फरोक्त या किसी अन्य तरीके से हस्तान्तरण आदि नही करे और न ही किसी प्रकार की दखलन्दाजी करे, प्रार्थीगण को बेदखल नही करे और न ही किसी अन्य से करावे । मौके व राजस्व रेकर्ड की दावे के रोज की यथास्थिति कायम रखी जावे ।

प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किये गये अप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए जो सामिल मिसल किये गये । अप्रार्थीगण की तरफ से कोई उपस्थित नही हुआ और न ही किसी अधिवक्ता ने वकालातनामा पेश किया और न ही उक्त प्रार्थना पत्र का खण्डन किया है इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई ।

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया । राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला दावा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण जारी की जाती है कि ग्राम चैराई की सरहद

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:33:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, जोधपुर

Scanned by CamScanner

मे खसरा नम्बर 1858 रकबा 2 बीस्वा, गै.मु.बाडा, खसरा नम्बर 1859 रकबा 5 बीस्वा, गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 1860 रकबा 102 बीघा 11 बीस्वा भूमि का अप्रार्थीगण बेचान फरोक्त या किसी अन्य तरीके से हस्तान्तरण आदि नही करे और न ही किसी प्रकार की दखलन्दाजी करे, प्रार्थीगण को बेदखल नही करे और न ही किसी अन्य से करावे । मौके व राजस्व रेकर्ड की दावे के रोज की यथास्थिति कायम रखी जावे ।

सहायक कलेक्टर, औसिया

सहायक कलेक्टर, ओसिया

आदेश आज दिंनाक 24/7/19 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया ।

सहायक कलेक्टर ,औसिया।

सहायक कलेक्टर, ओसिया

सृजित

सहायक कलेक्टर ओसिया जिला जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:33:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner